"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर 2007—आश्विन 6, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2007

क्रमांक ई-1-01/2007/एक/2.—श्री एम. एस. पैंकरा, भा. प्र. से. (सीजी:1991), आयुक्त, कोष एवं लेखा को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2007

क्रमांक ई-1-1/2007/एक/2.—श्री मंशाराम ठाकुर, भा. प्र. से. (1991), सचिव, लोक आयोग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, आदिमजाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री ठाकुर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत राज्य शासन, संचालक, आदिमजाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

2. श्री एस. आर. ब्राहम्णे, भा. प्र. से. (2000), उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, लोक आयोग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री ब्राहम्णे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत राज्य शासन, सचिव, लोक आयोग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2007

क्रमांक ई-7/03/2005/1/2.—सुश्री संगीता पी., भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा को दिनांक 24-09-2007 से 06-10-2007 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 23-09-2007 एवं 07-10-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री संगीता पी. आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री संगीता पी. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री संगीता पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

5. सुश्री संगीता पी. के उक्त अवकाश अवधि में श्री ए. के. तिवारी, रा. प्र. से., अपर कलेक्टर, जांजगीर-चांपा अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ 3-53/2007/12.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अक्षांश 21° 45'42" से 21° 49'57" तथा देशांश 82° 13'47" से 82° 21'30" के अंतर्गत जिला बिलासपुर, तहसील मस्तुरी के ग्राम गोडाडीह, बोहारडीह, लोहर्सी, भुरकुण्डा, बिदियाडीह, केवटाडीह के 886.26 हेक्टर क्षेत्र/ग्राम चिल्हाटी, जैतपुरी, महुआडीह, पतईडीह, सेम्हराडीह, भुरकुण्डा, गोडाडीह महल नं. 1 और 2, सुकूलकारी लोहाराडीह, लोहर्सी, बेल्हा के 1183.043 हेक्टर क्षेत्र तथा ग्राम बेलपान, महुआडीह, जैतपुरी, खपरी, रहटाटोर, साल्हेगोरी, कुकडी के 675.83 हेक्टर क्षेत्र में मेसर्स स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड) के पक्ष में स्वीकृत 3 चूनापत्थर खनिपट्टे की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उक्त खनिपट्टे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र (क्षेत्र के विवरण का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय, खनिज शाखा, जिला बिलासपुर में किसी भी कार्यालयीन दिवस/समय में किया जा सकता है) को, खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 59 अनुसार दिनांक 2 नवम्बर 2007 से पुन: अनुदान के लिये उपलब्ध घोषित किया जाता है.

2. भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किये गये पूर्वेक्षण कार्य के अनुसार उपर्युक्त क्षेत्र में सीमेंट संयंत्रों के लिए उपयुक्त चूनापत्थर उपलब्ध है, जिसके केप्टिव यूज के इच्छुक आवेदकों से, एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 11 की उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक के तहत, दिनांक 2 नवम्बर 2007 से 30 नवम्बर 2007 तक खनिज चूनापत्थर की खनिज रियायत स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं.

3. खनिज चूनापत्थर की खनिज रियायत के आवेदन पत्र जिला कार्यालय, बिलासपुर में दिनांक 2 नवम्बर 2007 से 30 नवम्बर 2007 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्राप्त किये जाएंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. ठाकुर, सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग
(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2007

क्रमांक एफ 4-4/2007/वियो/23.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 352/2000/योआसावि रायपुर दिनांक 26-12-2000 को निरस्त करते हुए राज्य शासन निम्नानुसार जिला स्तरीय अंतर्विभागीय समन्वय समिति का गठन करता है :—

1.	जिला कलेक्टर	:	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	:	सदस्य
3.	सिविल सर्जन, जिला अस्पताल	:	सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	:	सदस्य
5.	उप संचालक, पंचायत विभाग	:	सदस्य
6.	उप संचालक, जनसंपर्क विभाग	:	सदस्य
7.	महिला एवं बाल विकास अधिकारी	:	सदस्य
8.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	:	सदस्य
9.	स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नगरीय	:	सदस्य
10.	जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी.	:	सदस्य-सचिव

2. उक्त समिति का गठन जन्म-मृत्यु पंजीयन योजना के कार्यान्वयन में किसी भी स्तर पर उत्पन्न गत्यावरोध को दूर करने एवं कार्यान्वयन एजेन्सी को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिये किया जाता है.

3. यह समिति प्रत्येक 3 माह में एक बार जिले में जन्म-मृत्यु पंजीयन स्थिति की समीक्षा करेगी तथा इसमें उत्पन्न हो रहे गत्यावरोध को दूर करेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. श्रीनिवासुलु, विशेष सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2007

क्रमांक 7997/डी-2791/21-ब/छ. ग./07.—कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का क्रमांक 66) की धारा 4 के उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छ. ग. उच्च न्यायालय की सहमति से, छत्तीसगढ़ राज्य, एतद्द्वारा, श्रीमती मैत्रीय माथुर, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर को प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर के रूप में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करती है.

No. 7997/D-2791/XXI-B/C. G./07.—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 4 of Family Court Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State of Chhattisgarh in concurrence with the High Court of Chhattisgarh hereby appoints Smt. Maitrai Mathur, IInd Additional Principal Judge, Family Court, Raipur as Principal Judge, Family Court, Raipur from the date she assumes charge.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2007

क्रमांक 7834/2217/21-ब/छ. ग./2007.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सुशील कुमार साहू अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक मनेन्द्रगढ़ जिला-कोरिया द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण न किये जाने के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति संबंधी इस विभाग का पृष्ठांकन आदेश क्र. 1282/230/21-ब/छ. ग./2007 एवं क्रमांक 1284/230/21-ब दिनांक 02-02-07 निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2007

क्रमांक 7853/2776/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री पुरूषोत्तम राम साहू अधिवक्ता, गरियाबंद जिला-रायपुर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए रायपुर जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय गरियाबंद में अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2007

क्रमांक 7884/2698/21-ब/छ. ग./2007/एक्ट्रोसिटी.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय दुर्ग के लिए इस विभाग के आदेश क्रमांक 1347/229/21-ब/छ. ग./07 दिनांक 05-02-07 द्वारा नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री उमेश शुक्ला द्वारा उक्त पद से त्याग पत्र दिये जाने के फलस्वरूप दिनांक 31-08-07 से त्याग पत्र स्वीकृत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ. 01-106/31/स्था./2005.—मुख्य अभियंता (सिविल) से प्रमुख अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती नियम में 02 वर्ष की अर्हकारी सेवा अवधि निर्धारित है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उपरोक्त सेवा अवधि में दो वर्ष की छूट दिए जाने संबंधी स्वीकृति प्रदान की गई है.

2. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा मुख्य अभियंता (सिविल) से प्रमुख अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हकारी सेवा में 02 वर्ष की छूट की स्वीकृति प्रदान करता है.

3. उपरोक्त दी गई छूट दिनांक 31-12-2007 तक प्रभावशील रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जुलाई 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	पोड़ीशंकर प. ह. नं. 16	0.24	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, चांपा, संभाग चांपा.	बम्हनीडीह पोड़ीशंकर मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2007

क्रमांक 1922/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	सिब्दी प. ह. नं. 04	1.73	कार्यपालन अभियंता, मोहदीपाट परि. संभाग, दुर्ग.	खरखरा मोहंदीपाट परि. मुख्य नहर नाली एवं माइनर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनु. अधि. (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2007

क्रमांक 1924/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	सिब्दी प. ह. नं. 04	0.113	कार्यपालन अभियंता, मोहदीपाट. परि. संभाग, दुर्ग.	खरखरा मोहंदीपाट पैकेट-2 हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनु. अधि. (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 25 अप्रैल 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	बड़गांव प. ह. नं. 36	0.803	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग, सेतु निर्माण, बिलासपुर.	दनौट बड़गांव मार्ग के कि. मी. 5/2 पर दनौट सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायगढ़, दिनांक 14 अगस्त 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	टाडापारा प. ह. नं. 4	1.303	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़ (छ. ग.)	टाडापारा से खम्हार मार्ग हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 अगस्त 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	पुछियापाली प. ह. नं. 4	1.393	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़ (छ. ग.)	टाडापारा से खम्हार मार्ग हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 अगस्त 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	रानीसागर प. ह. नं. 13	0.972	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	मेसर्स रूकमणी पावर एंड स्टील लिमिटेड के इंडक्शन फर्नेस हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 47 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	अमलीभौना प. ह. नं. 11	6.967	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 48 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ज़िला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सांगीतराई प. ह. नं. 11	6.796	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 49 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोसमनारा प. ह. नं. 11	4.601	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 50 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कलमी प. ह. नं. 14	3.460	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 51 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	छुहीपाली प. ह. नं. 11	7.603	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 52 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	झारमुड़ा प. ह. नं. 30	9.077	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 53 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	तड़ोला प. ह. नं. 36	8.595	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 54 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	जकेला प. ह. नं. 30	7.507	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 55 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	पटेलपाली प. ह. नं. 10	7.705	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 56 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कुंजेंडबरी प. ह. नं. 24	0.950	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 57 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बेलपाली प. ह. नं. 24	8.524	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 58 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोड़ातराई प. ह. नं. 24	9.418	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 अगस्त 2007

क्रमांक 26/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	गिरारी	8.471	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	अपरखुज्जी जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2007

क्रमांक 3/अ-82/2003-04.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	सेवरा	43.820	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	बगड़ी जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2007

क्रमांक 11/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	धरहर	13.327	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	गूजरनाला जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2007

क्रमांक 12/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	खुरपा	10.176	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	गूजरनाला जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2007

क्रमांक 19/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	ऐंठी	1.503	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	गूजरनाला जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2007

क्रमांक 20/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची कें खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	सिवनी	7.928	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	गूजरनाला जलाशय मुख्य एवं लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2007

क्रमांक 21/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	मालाडांड़	3.854	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	गूजरनाला जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2007

क्रमांक 22/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	देवगांव	3.676	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	गूजरनाला जलाशय मुख्य एवं लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2007

क्रमांक 24/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	धरहर	5.774	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	गूजरनाला जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 अगस्त 2007

क्रमांक 3/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-खैरा (खुर्द), प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.92 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
196/1, 197/1, 198/1	0.70
196/2, 197/2, 198/2	1.22
योग 2	1.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर आगर व्यपवर्तन डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2007

क्रमांक 25/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-कोरजा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.02 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
76/1	0.14
180	0.12
178	0.14
107/1 स	0.13
107/1 द	0.10
88/1	0.30
107/1 ठ	0.03
80/1	0.43
23/2	0.02
32	0.19
93/1	0.28
77/1	0.30
101/1	0.45
22/4	0.14
107/1 ज	0.15
95/4	0.28
14/2	0.03
101/4	0.43
22/3	0.04
176/1	0.15
77/2	0.29
107/1 न	0.07
22/5	0.10
22/2	0.19
95/1	0.67

(1)	(2)
6/1 ठ	0.28
95/3 क	0.37
17/1	0.12
107/1 ग	0.15
6/1 ट	0.34
34	0.08
107/1 ख	0.08
33	0.12
177	0.36
107/1 त्र	0.38
98/1	0.08
107/1 क्ष	0.39
107/1 घ	0.13
76/2	0.28
101/5	0.20
81/1	0.22
82/1	0.22
88/2	0.20
14/1	0.37
15	0.12
17/2	0.11
22/1	0.15
योग 46	10.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खुदरी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 अगस्त 2007

क्रमांक 9/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-रूमगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.65 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
190/1	0.04
244/5	0.13
578/2	0.09
308/3	0.20
361/2	0.10
243/2	0.04
590	0.03
587/1	0.27
170/1	0.05
243/1	0.04
97/2	0.23
302	0.27
363/1	0.11
363/2	0.10
244/2	0.18
306	0.26
190/2	0.03
172	0.03
577	0.11
578/1	0.09
189/1	0.08
342	0.17
योग 22	2.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - लोवरसोन व्यपवर्तन शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 अगस्त 2007

क्रमांक 10/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-मटियाडांड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.75 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
125/1	0.14
85/16	0.17
384/2, 385	0.03
404	0.05
391/1	0.07
390	0.07
392	0.14
228/1	0.18
251/1	0.24
387/2	0.16
291/1	0.28
291/3	0.34
128/3	0.14
405	0.37
229	0.21
126/1, 127/1	0.04
359/4	0.11
393	0.01
291/4	0.18
291/5	0.18
287/1	0.81
89/2	0.03
187/2, 200	0.17
90	0.17
89/6	0.03
129	0.26
89/3, 85/14	0.17
योग 27	4.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - लोवरसोन व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2007

प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-टेकर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.80 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1	0.09
2	1.61
3	0.16
4	0.30
5	0.50
10/1	0.32
10/2	0.18
11	0.02
12	0.14
14	0.14
15/1	0.33

	(1)	(2)
	15/2	0.36
	37	0.15
	38	0.15
	41	0.15
	42/1	0.21
	42/2	0.21
	43	0.17
	44	0.20
	45	0.17
	57	0.08
	91/1	0.06
	100	0.10
योग	23	5.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -अकलतरी जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 5 सितम्बर 2007

क्रमांक/7626/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मगरलोटा, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-84.576 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
43/1	0.093
43/2	0.097
43/3	0.159
43/4	0.183
43/5	0.219
43/6	0.162
44	0.036
45	0.113
46/1	0.040
46/2	0.036
47	0.692
48/1	0.214
48/2	0.215
49/1	0.004
49/2	0.049
49/3	0.184
49/4	0.097
50	0.445
55/1	0.081
55/2	0.113
55/3	0.097
55/4	0.081
56, 57	1.355
58	0.158
59/1	0.644
59/2	0.518
59/3	0.348
60/1	0.312
60/2	0.202
61/1	0.896
61/1	0.444
61/3	0.445
62/1	0.421
62/2	1.064
62/3	0.680
62/4	0.693
63/1	0.190
63/2	0.190
63/3	0.097
63/4	0.162
63/5	0.081
63/6	0.162
63/7	0.093
63/8	0.081
64/1	0.538
64/2	0.101

(1)	(2)
64/4	0.154
64/5	0.150
64/3	0.134
65/1	0.081
65/2	0.121
65/3	0.121
65/4	0.161
66/1	0.036
66/2	0.275
66/3	0.101
66/4	0.101
66/5	0.036
68	0.676
69/1	0.170
69/2, 69/3	0.170
70/1	0.267
70/2	0.259
70/3	0.518
71/1	0.198
71/2	0.101
71/3	0.219
71/4	0.097
71/5	0.129
71/6	0.081
71/7	0.510
71/8	0.202
71/9	0.149
71/10	0.141
71/12	0.069
71/13	0.141
71/14	0.139
71/15	0.081
71/16	0.061
71/17	0.101
71/11	0.089
72/1	0.121
72/2	0.578
72/3	0.251
72/4	0.304
72/5	0.049
72/6	0.049
73	0.380
74	0.474
75/1	0.376
75/2	0.202
75/3	0.405
76	0.109
77	0.061
78/1	0.061
78/2	0.065
79	0.413
80/1	0.393
80/2	0.397
81/1	0.162
81/2	0.749
81/3	0.174
81/4	0.166
81/5	0.234
82/1	0.128
82/2	0.113
82/3	0.124
82/4	0.142
83/1	0.097
83/2	0.304
83/3	0.267
83/4	0.065
84/1	0.162
84/2	0.162
85/1	0.097
85/2	0.202
85/3	0.105
86/1	0.364
86/2	0.113
86/3	0.117
86/4	0.113
87	0.474
88	0.530
89/1	0.154
89/2	0.300
90/1	0.595
90/2	0.598
91/1	0.466
91/2	0.476
91/3	0.474
92	0.077
93	0.065
94	0.158
95	0.146
96/1	0.032
96/2	0.032
97	0.093
98	0.085
99	0.040
101	0.089
102	0.089
103/1	0.057
103/2	0.057
104/1	0.405
104/2	0.271
105/1	0.510

(1)	(2)
105/2	0.219
105/3	0.218
106/1	0.190
106/2	0.264
107	0.138
108	0.085
109	0.081
110	0.081
111/1	0.093
111/2	0.081
111/3	0.085
112/1	0.036
112/2	0.198
112/3	0.405
112/4	0.061
112/5	0.065
112/6	0.340
113	1.011
114/1	0.081
114/2	0.636
114/3	0.121
114/4	0.161
114/5	0.040
114/6	0.081
114/7	0.148
115/1	0.482
115/2	0.081
115/3	0.174
115/4	0.154
115/5	0.058
116/1, 117/1	0.441
116/2, 117/2	0.380
119/1	0.838
119/2	0.838
120/1	0.223
120/3	0.117
120/4	0.142
120/5	0.142
120/6	0.155
120/2	0.771
121/1	0.263
121/2	0.105
121/3	0.291
121/4	0.235
122/1	0.938
122/2	0.405
122/3	0.267
122/4	0.264
123	1.068
124	4.006
126/1	0.583
126/2	0.186
126/3	1.025
126/4	0.603
126/5	0.356
126/6	0.198
126/7	0.110
127/1	0.450
127/2	0.445
128/1	0.583
128/2	0.433
128/3	0.138
128/4	0.388
128/5	0.255
128/6	0.384
128/7	0.113
128/8	0.113
129	0.081
130	0.134
131	0.040
132	0.036
133	0.040
134	0.040
135	0.045
136/1	0.148
136/3	0.384
138/1	0.231
138/2	0.089
139	0.821
140/1	0.121
140/2	0.121
140/3	0.077
140/4	0.077
250/1	0.190
250/2	0.206
250/3	0.890
250/4	0.627
250/6	0.304
250/7	0.174
251	0.174
252/3	0.162
253	0.550
262/1 1	

(1)	(2)
253 262/1 } 2	0.514
253 262/1 } 3	0.445
253 262/1 } 4	0.486
253 262/1 } 5	0.089
253 262/1 } 6	0.365
253 262/1 } 7	0.567
253 262/1 } 8	0.177
254/1	0.405
254/2	0.243
254/3	0.567
254/4	0.186
254/5	0.226
255/1	0.069
255/2 255/3 }	0.073
255/4	0.028
255/5	0.069
255/6	0.049
255/8	0.567
255/9	0.206
255/10	0.089
255/11	0.178
255/12	0.243
255/13	0.101
255/14	0.053
255/15	0.121
255/16	0.069
255/17	0.178
255/18	0.101
255/19	0.052
255/20	0.142
255/21	0.181
256/1	0.101
256/2	0.890
256/3	0.251

(1)	(2)
256/4	0.117
256/5	0.138
256/6	0.020
256/7	0.437
256/8	0.146
256/9	0.117
256/10	0.113
256/11	0.052
256/12	0.157
256/13	0.081
257	0.376
258/1	0.348
258/3	0.157
259	0.741
260/1	0.263
260/2	0.927
260/3	0.081
260/4	0.162
260/8	0.020
260/9	0.388
261/1	1.955
276/2	0.137
276/3	0.061
276/4	0.073
276/5	0.065
277	0.854
278/1	0.141
278/2	0.287
278/3	0.142
278/4	0.146
278/5	0.145
279/1	0.315
280/1	0.360
280/2	0.178
280/3	0.182
281/1	0.178
281/2	0.380
281/3	0.024
281/4	0.178
282/1 282/2 }	0.656
283/1	0.093

	(1)	(2)
	283/2	0.089
	284/1	0.283
	284/2	0.405
योग	316	84.576

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजनांदगांव जिले में नवीन वृहद औद्योगिक क्षेत्र जोरातराई, राजनांदगांव की स्थापना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 सितम्बर 2007

क्रमांक/7627/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-अंजोरा, प. ह. नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल-54.565 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
24/1	1.238
25/1	0.202
25/2	0.405
25/3	0.218
26	0.462
27/1	1.384
27/2	0.182
27/3	0.065
27/4	0.182
28	1.263
29	0.178
30/1	0.222
30/2	0.219
30/3	0.223
30/4	0.219
31/1	0.304
31/2	0.405
31/3	0.304
31/4	0.668
31/5	0.283
32/1	0.971
32/2	0.405
32/3	0.486
32/4	0.485
33/1	0.170
33/2	0.312
33/3	0.405
33/4	0.389
33/5	0.405
34/1	0.078
34/2	0.405
34/3	0.511
34/4	0.437
35/1	0.328
35/2	0.243
35/3	0.308
35/4	0.308
35/5	0.308
35/6	0.247
35/7	0.437
35/8	0.324
35/9	0.324
36	1.453
37	0.494
38	0.482
39/1	0.384
39/2	0.146
39/3	0.073
39/4	0.122
40/1	0.291
40/2	0.292
41/1	0.202
41/2	0.121
41/3	0.318

(1)	(2)
41/4	0.202
42	0.024
43	0.287
44/1	0.129
44/2	0.129
44/3	0.134
45/1	0.598
45/2	0.599
46/2	0.340
46/3	0.324
47/2	0.622
48	0.267
50	0.696
51/1	0.069
51/2	0.162
51/3	0.121
51/4	0.137
51/5	0.032
51/6	0.154
51/7	0.044
51/8	0.036
51/9	0.057
51/10	0.085
51/11	0.266
51/12	0.112
51/13	0.040
51/14	0.165
51/15	0.130
51/16	0.057
52/1	0.299
52/2	0.299
53/1	0.303
53/2	0.264
53/3	0.405
53/4	0.575
53/5	0.243
54	0.445
55/1	0.206
55/2	0.429
56/1	0.295
56/2	0.174
56/3	0.587
56/4	0.259
56/5	0.295
57/1	0.170
57/2	0.295
58/1	0.142
58/2	0.283
58/3	0.141
58/4	0.073
58/5	0.073
58/6	0.073
58/7	0.069
59/1	1.619
59/2	1.093
59/3	0.809
59/4	0.243
59/5	0.308
59/6	0.605
59/7	0.157
59/8	0.373
59/9	0.368
59/10	0.376
59/11	0.283
59/12	0.405
59/13	0.287
60/1	0.061
60/2	0.243
60/3	0.061
61/1	0.142
61/2	0.121
62	0.425
63	0.429
64/1	0.081
64/2	0.316
64/3	0.081
64/4	0.077
64/5	0.077
65/1	0.308
65/2	0.307
66/1	0.344
66/2	0.340
67	0.813
69/1	0.202
69/2	0.324
69/3	0.278
69/4	0.202
69/5	0.144
69/6	0.275
69/7	0.093
70/1	0.631
70/2	0.616
71/1	0.283
71/2	0.280
72	0.922

(1)	(2)
73/1	0.405
73/2	0.174
74/1	0.020
74/2	0.173
74/3	0.319
74/4	0.008
74/5	0.174
74/6	0.191
74/7	0.190
75/1	0.227
75/2	0.170
75/3	0.401
76	0.405
78/1	0.734
78/2	1.044
122/1	0.186
122/2, 122/3	0.207
122/5	0.304
122/6	0.073
122/8	0.053
योग 169	54.565

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजनांदगांव जिले में नवीन वृहद औद्योगिक क्षेत्र जोरातराई, राजनांदगांव की स्थापना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 सितम्बर 2007

क्रमांक/7628/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-राजनांदगांव
(ग) नगर/ग्राम-कोपेडीह, प. ह. नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल-183.313 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/1	0.162
1/2	0.242
2	0.040
3/1	0.081
3/2	1.081
4	0.146
5	0.085
6	0.045
7	0.085
8	0.061
9/1	0.057
9/2	0.057
10	0.057
11	0.057
12	0.061
13	0.073
15	0.073
16	0.061
17	0.065
18	0.077
19	0.077
21/1	0.587
22	0.057
23	0.186
24/1	0.133
24/2	0.069
25	0.251
26/1	0.093
26/2	0.097
55	0.028
56	0.028
57	0.077
58	0.085
59	0.166
60	0.081
61	0.077

(1)	(2)	(1)	(2)
62/1	0.049	134/1	0.369
62/2	0.102	135/1	0.258
63	0.105	135/2	0.662
64	0.105	135/3	0.405
65	0.097	136/1	0.194
66	0.065	136/2	0.202
67	0.073	137	0.470
68	0.073	138	0.328
69	0.089	139/1	0.316
70	0.097	139/2	0.320
71	0.049	140	0.401
72	0.117	141/1, 144/1	0.401
73	0.097	141/2, 144/2	0.202
74	0.105	141/3, 144/3	0.202
75	0.243	141/4, 144/4	0.202
76	0.210	142/1	0.312
77/1	0.049	142/2	0.329
78/1	0.063	143	0.547
81	0.073	145/1	0.344
82	0.097	145/2	0.341
83	0.089	146	0.308
84	0.113	147	0.332
85	0.125	148	0.340
86/1	0.097	149	0.239
86/2	0.097	150/1	0.073
87	0.146	150/2	0.073
88	0.125	150/3	0.073
89	0.049	150/4	0.073
90	0.057	151	0.271
91	0.125	152/1	0.202
92	0.049	152/2	0.198
93	0.267	153	0.526
94	0.121	154/1	0.290
95	0.121	154/2	0.210
101/1	0.097	154/3	0.113
102	0.073	155	0.101
103	0.073	156/1	0.113
120/1	0.049	156/2	0.227
129/2	0.085	157/1	0.166
129/3	0.405	157/2	0.073
131/1	1.449	157/3	0.097
131/3	0.809	158	0.733
131/5	1.215	159/1, 160/2	0.397
133/1	0.293	159/2, 160/1	0.267
133/2	0.615	160/3	0.219
133/3	0.405	160/4	0.020
133/4	0.113	161	0.656

(1)	(2)	(1)	(2)
162	0.271	187	0.206
163/1	0.134	188/1	0.340
163/2	0.049	188/2	0.101
163/3	0.219	190/1	2.566
164/1	0.114	190/2	0.607
164/5	0.117	191	0.397
164/2	0.405	192	0.356
164/3	0.324	193, 194	0.405
164/4	0.486	195/1	0.085
165/1, 165/4	0.073, 0.129	195/2	0.162
165/2	0.053	195/3	0.057
165/3	0.202	195/4	0.142
165/5	0.129	196	0.356
166/1	0.170	197/1	0.105
166/2	0.170	197/2	0.421
166/3	0.081	198	0.684
167/1	0.231	199/1	0.745
167/2	0.174	199/2	0.785
167/3	0.057	200/1	0.113
170	0.198	200/2	0.109
171	0.146	200/3	0.223
172/1	0.243	201	0.259
172/2	0.101	202	0.154
172/3	0.142	203	0.045
174	0.198	204	0.101
175	0.146	205	0.210
176/1	0.101	206/1	0.077
176/2	0.210	206/2	0.081
177/1	0.053	207	0.081
177/2	0.049	208	0.384
177/3	0.053	209/1	0.441
177/4	0.053	209/2	0.441
178/1	0.089	210/1, 210/2	0.251
178/2	0.049	211/1	0.133
178/3	0.049	211/2	0.304
178/4	0.146	211/3	0.202
179/1	0.069	211/4	0.263
179/2	0.069	211/5	0.101
180	0.138	211/6	0.230
181/1	0.073	211/7	0.109
181/2	0.065	211/8	0.053
182/1	0.069	211/9	0.049
182/2	0.069	211/10	0.109
183, 185	0.129, 0.267	212	0.328
184/1	0.097	213	0.121
184/2	0.032	214	0.154
186	0.219	215/1	0.057

(1)	(2)
215/2	0.057
215/3	0.053
216	0.109
217/1	0.020
217/2	0.020
217/3	0.020
217/4	0.020
218/1	0.114
218/2	0.109
219/1	0.150
219/2	0.113
220	0.255
221/1	0.101
221/6	0.089
221/7	0.105
221/2	0.243
221/3	0.304
221/4	0.542
221/5	0.105
222/1	0.332
222/2	0.072
223	0.254
224/1	2.475
224/9	0.647
224/2	0.158
224/7	0.178
224/5	0.142
224/6	0.020
224/3	0.405
224/8	0.020
232/1	0.427
232/4	0.130
232/5	0.130
232/6	0.130
232/2	0.053
232/3	0.206
238/1, 238/3	0.138
238/2	0.141
260/1	0.202
260/3	0.202
260/4	0.126
260/2	0.065
261	0.166
262/1	0.141
262/2	2.975
273	0.113
274	0.113
275	0.352
276/1	0.162
276/2	0.158
280/1	0.222
280/3	0.264
280/2	0.482
281/1	0.271
281/2	0.174
282/1, 282/2	0.546
283	0.259
284/1	0.113
284/2	0.113
285/1	0.101
285/2	0.021
285/3	0.211
286/1	0.101
286/2	0.036
287	0.178
288	0.368
289	0.243
290	0.158
291	0.359
292/1, 293/1	0.604
292/2	0.113
293/2	0.129
293/3	0.223
294/1	2.283
294/2	0.093
294/3	0.688
294/4	0.202
294/5	0.368
294/6	0.146
294/7	0.150
294/8	0.372
294/9	0.249
294/10	0.271
294/11	0.154
294/12	0.276
294/13	0.280
294/14	0.276
295/1	0.271
295/2	0.247
295/3	0.057
296/1	0.194
296/2	0.190
197/1	0.194

(1)	(2)	(1)	(2)
297/2	0.097	321/2	0.202
298	0.332	322/1	0.150
299/1	0.397	322/2	0.154
299/2	0.352	323	0.202
300/1	0.154	324	0.214
300/2	0.202	325/1	0.174
300/3	0.138	325/2	0.101
300/4	0.138	325/3	0.405
301/1	0.202	325/4	0.121
301/2	0.210	325/6	0.121
301/3	0.243	325/5	0.231
302/1	0.057	326/1	0.113
302/2	0.146	326/2	0.405
302/3	0.113	326/3	0.235
303	0.121	327/1	0.121
304/1	0.182	327/2	0.121
304/2	0.035	328/1	0.146
306	0.129	328/2	0.149
307/1	0.158	329	0.089
307/2	0.158	330/1	0.462
308/1	0.049	330/2	0.097
308/2	0.032	330/3	0.081
308/3	0.032	330/4	0.068
309	0.376	330/5	0.097
310	0.145	330/6	0.097
311	1.121	330/7	0.032
312	0.138	331	0.179
313/1	0.179	332/1	0.405
313/2	0.405	332/2	0.433
313/3	0.137	332/3	0.405
314	0.466	332/4, 332/5	0.405
315/1	0.184	333	0.591
315/2	0.202	334/1	0.226
315/3	0.279	334/2	0.231
315/4	0.105	335	0.247
315/5	0.149	336	0.073
316/1	0.024	337/1	1.631
316/2	0.109	337/2	0.405
316/3	0.437	337/3	0.465
317/1	0.259	338	0.324
317/2	0.259	339/1, 240/1	0.226
318	0.413	339/2	0.267
319/1	0.198	339/3, 340/2	0.146
319/2	0.405	341/1	0.113
320/1	0.364	341/2	0.101
320/2	0.162	342	0.162
320/3	0.024	343/1	0.344
321/1	0.673	344	0.478

(1)	(2)
345	0.049
346/1	0.053
346/2	0.049
347/1	0.149
347/2	0.150
348/1	0.162
348/2	0.028
349	0.372
350/1	0.595
350/2	0.105
350/3	0.110
350/4	0.040
350/5	0.109
350/6	0.104
350/7	0.105
351	0.632
352	0.227
353/1	0.356
353/2	0.113
353/3	0.113
353/4	0.113
353/5	0.113
354	0.202
355/1	0.178
355/2	0.121
355/3	0.024
356/1	0.089
356/2	0.081
356/3	0.089
356/4	0.081
356/5	0.081
357/1	0.178
357/2	0.178
358	1.053
359	0.502
360/1	0.045
360/2	0.049
360/3	0.045
360/4	0.045
361	0.271
362	0.567
363	0.384
364	0.259
365	0.174
366	0.105
367/1	0.085
367/3	0.089
367/5	0.089
367/4	0.089
367/2	0.142
367/6	0.073
367/7	0.040
368	0.081
369/1	0.081
369/2	0.101
370/1	0.028
370/2	0.085
370/3	0.093
370/4	0.121
371/1	0.133
371/2	0.405
371/3	0.069
372/1	0.077
372/2	0.093
372/3	0.093
373/1	0.105
373/2	0.105
374/1	0.146
374/2	0.085
438/2	0.113
438/3	0.567
438/4	0.186
438/5	0.251
439/1	0.539
440/1	0.137
440/2	0.040
440/4	0.121
440/5	0.040
440/6	0.032
440/7	0.053
441/1	0.186
441/2	0.186
441/3	0.008
442/1	0.097
442/2	0.089
443	0.320
444/1	0.085
444/2	0.105
445/1	0.097
445/2	0.251
445/3	0.202
447/1	0.089
447/4	0.081
447/5	0.012
447/2	0.227
447/3	0.081

(1)	(2)	(1)	(2)
447/6	0.028	470/2	0.202
448	0.894	471	0.636
449	0.036	472/1	0.223
450	0.073	472/2	0.202
451/1	0.049	472/3	0.101
451/2	0.049	472/4	0.101
452	0.105	472/5	0.429
453/1	0.032	473	0.210
453/2	0.032	474	0.255
454	0.271	475/1	0.441
455/1	1.500	475/2	0.356
455/2	0.121	475/3	0.040
456	0.401	475/4	0.040
457/1	0.105	476/1	1.077
457/2	0.101	476/2	0.065
458/1	0.077	477	0.770
458/2	0.077	478/1	0.041
459	0.279	478/2	0.405
460/1	0.105	478/3	0.344
460/2	0.283	478/4	0.093
461/1	0.089	478/5	0.045
461/2	0.049	479/1	0.328
461/3	0.044	479/2	0.405
462/1	0.170	480	0.085
462/2	0.202	481/1	0.404
462/3	0.154	481/2	0.405
462/4	0.182	482	0.073
463/1	0.721	483/1	1.215
463/2	0.405	483/2	1.716
463/3	0.405	483/3	0.809
463/4	0.511	484	0.283
463/5	0.113	485/1	0.433
463/6	0.718	485/2	0.433
465	0.567	486/1	0.324
466/1	0.263	486/2	0.102
466/2	0.057	486/3	0.222
466/3	0.073	487/1	0.121
467	0.283	487/2	0.292
468/1	0.142	488	0.713
468/2	0.316	489/1	0.283
468/3	0.101	489/2, 489/3	0.789
468/4	0.210	490/1	0.182
468/5	0.073	490/2	0.242
468/6	0.101	491/1	0.202
468/7	0.142	491/2	0.202
469	0.729	491/3, 491/4	0.283
470/1	1.339	492/1	0.505
		492/2	0.457

(1)	(2)	(1)	(2)
493	0.162	594	0.793
494	0.364	595/1	0.113
495	0.081	595/2	0.506
496	0.198	595/3	0.178
497	0.267	595/4	0.114
513/1	0.283	595/5	0.178
513/2	0.142	596/1	0.235
513/3	0.142	596/2	0.060
514/1	0.291	596/3	0.175
514/2	0.287	597/1	0.194
519/1	0.462	597/2	0.194
519/2	0.405	598/1	0.113
520/1	0.444	598/2	0.113
520/2	0.405	598/3	0.113
521	0.243	599	0.959
522/1	0.113	600/1	0.324
522/2	0.110	603	0.142
523	0.388	604	0.287
524	0.138	605	0.769
525/1	0.154	607/1	0.210
525/2	0.506	607/2	0.413
525/3	0.154	607/3	0.210
526	0.081	608/1	0.611
527	0.081	608/2	0.186
528	0.085	608/3	0.094
529/1	0.073	609/1	0.235
529/2	0.044	609/2	0.405
530	0.162	610	0.809
531	0.105	611/1	0.316
532	0.105	611/2	0.089
533/1	0.320	611/3	0.405
533/2	0.368	611/4	0.093
534/1	0.235	612/1	0.045
534/2	0.235	612/2	0.044
535	0.299	613/1	0.340
536	0.154	613/2	0.283
537/1	0.542	614/1, 614/2	0.267
537/2	0.271	614/3, 614/4	0.243
538	0.353	614/5	0.316
539	0.563	615	0.049
540	4.695	617	0.057
551	4.055	618/1	0.441
592/1	1.044	618/2	0.134
592/2	0.202	619/1	0.202
593/1	0.530	619/2	0.223
593/2	0.530	619/3	0.271
		619/4	0.202

(1)	(2)
620/1	0.146
620/2	0.324
621/1	0.279
621/2	0.275
622/1	0.389
622/2	0.032
622/3	0.202
622/4	0.405
622/5	0.251
622/7	0.251
622/6	0.474
623/1, 623/2	0.605
623/3	0.081
624/4	0.040
624/1	0.348
624/2	0.202
625/1	0.833
625/2	0.729
625/3	0.340
626/1	0.154
626/2	0.150
627	0.235
628/1	0.073
628/2	0.073
629	0.328
630	0.223
योग 732	183.313

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजनांदगांव जिले में नवीन वृहद औद्योगिक क्षेत्र जोरातराई, राजनांदगांव की स्थापना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 सितम्बर 2007

क्रमांक/7956/भू-अर्जन 2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-डोंगरगढ़, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
612/1	0.12
योग	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोंगरगढ़ से चिचोला रेल्वे क्रासिंग पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2007

परिशिष्ट-एक

क्रमांक एफ-23/रानिआ/न. पा./मत. सूची/07/1401.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नियम 4, 5 एवं 6 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा नगरपालिका उप निर्वाचन 2007 हेतु उन

नगरीय निकायों में जहां अध्यक्ष/पार्षद के रिक्त स्थान है वहां नवम्बर-दिसम्बर 2007 में उप निर्वाचन होना है. उप चुनाव (उत्तरार्द्ध) 2007 के लिए संबंधित नगरीय निकायों की मतदाता सूचियां तैयार करने के लिए निम्नांकित कार्यक्रम (समय अनुसूची) निर्धारित करता है :—

मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम

क्र. (1)	कार्यवाही विवरण (2)	निर्धारित तारीख (3)
	प्रथम चरण	
1.	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति	18-09-2007 मंगलवार
2.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन	18-09-2007 मंगलवार
3.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची तैयार करना	19-09-2007 से 22-09-2007
4.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची का एक सेट जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) के कार्यालय में जमा कराया जाना.	24-09-2007 सोमवार
5.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची का मुद्रण	27-09-2007 गुरुवार
	द्वितीय चरण	
1.	मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में प्रचार-प्रसार, प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण, सांसदों/विधान सभा सदस्यों/पार्षदों को सूचना भेजना तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रारूप सूची उपलब्ध कराना.	28-09-2007 शुक्रवार
2.	प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावें तथा आपत्तियां प्राप्त करने की कार्य की शुरूवात.	01-10-2007 सोमवार
3.	दावें तथा आपत्तियों के प्राप्त की अंतिम तारीख	09-10-2007 मंगलवार
4.	प्राप्त दावों तथा आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख	11-10-2007 गुरुवार अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	वार्डवार अनुपूरक सूचियां तैयार करना	12-10-2007 शुक्रवार
6.	अनुपूरक सूचियों का मुद्रण	14-10-2007 रविवार
7.	अनुपूरक सूचियां, मूल (प्रारंभिक) सूचियों के साथ जोड़ा जाना	15-10-2007 सोमवार
8.	मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	16-10-2007 मंगलवार

ओंकार सिंह,
सचिव.

परिशिष्ट-2

क्रमांक एफ-23/रानिआ/न. पा./मत. सूची/07/1401 रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2007

नगरपालिकाओं के रिक्तिओं की जानकारी माह-अगस्त 2007 की स्थिति में

क्र.	जिला	नगरपालिका	पद एवं रिक्त वार्ड		
			अध्यक्ष	पार्षद	रिक्त वार्ड का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बिलासपुर	नगर पंचायत, गौरेला	अध्यक्ष	-	-
	--,,--	नगर पंचायत, बिल्हा	-	पार्षद	8
2.	कोरबा	नगर पालिक निगम, कोरबा	-	पार्षद	49
3.	सरगुजा	नगर पंचायत, बलरामपुर	अध्यक्ष	-	-
4.	कोरिया	नगर पंचायत, झगराखांड	-	पार्षद	12
5.	रायपुर	नगर पंचायत, राजिम	-	पार्षद	2
		नगर पंचायत, अभनपुर	-	पार्षद	6
6.	महासमुंद	नगर पंचायत, सरायपाली	-	पार्षद	3
7.	दुर्ग	नगर पालिक निगम, दुर्ग	-	पार्षद	37
	--,,--	नगर पंचायत, नवागढ़	-	पार्षद	12
	--,,--	नगरपालिका परिषद्, कुम्हारी	-	पार्षद	3
	--,,--	नगरपालिका परिषद्, भिलाई चरौदा	-	पार्षद	1
	--,,--	नगरपालिका परिषद्, दल्लीराजहरा	-	पार्षद	25
8.	दंतेवाड़ा	नगर पंचायत, दंतेवाड़ा	-	पार्षद	2
		योग	2		12

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 7th September 2007

No. 6369/L. G./2007/II-2-34/2002.—Shri T. C. Yadu, Judge, Family Court, Raigarh (C. G.) is hereby, granted earned leave for 05 days from 10-09-2007 to 14-09-2007 with permission to leave the headquarters.

On return from leave Shri Yadu is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri T. C. Yadu, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 235+10 days of earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 11th September 2007

No. 412/Confdl./2007/II-2-1/2007.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office; and

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Sessions Judge of the Sessions Division as mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & present designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Sharad Kumar Gupta, Special Judge Under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.	Rajnandgaon	Jashpurnagar	Jashpur	District & Sessions Judge.

By order of the High Court,
HEERA SINGH MARKAM, Registrar General.